संख्या-49/2019-2521/58-2019-118/2016

प्रेषक ,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2019**

विषय :- संकर शाकभाजी क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में लाभार्थी कृषक द्वारा संकर बीज के साथ-साथ तुडाई उपरान्त प्रबन्धन हेतु गुणवत्तायुक्त प्लास्टिक क्रेट्स के क्रय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-110/बजट/आई0टी0सेल/2019-20, दिनांक 14.11.2019 एवं पत्र संख्या-133/बजट/आई0टी0सेल/2019-20, दिनांक 04.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-39/2018-1419/58-2018-118/2016, दिनांक 26.06.2018 के प्रस्तर-3 में प्लास्टिक क्रेट्स की व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंजीकृत/चयनित लाभार्थी कृषक द्वारा अपनी स्वेच्छानुसार 42 लीटर अथवा 50 लीटर क्षमता की फल एवं सब्जी वर्गीय प्लास्टिक क्रेट्स का क्रय मूल उत्पादक फर्म/कम्पनियों अथवा उनके डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर से एम.आर.पी से अनधिक दरों पर नकद मूल्य पर क्रय करने के लिए निम्नवत् व्यवस्था की जाती है:-

"प्लास्टिक क्रेट्स बी0आई0एस0 मानक सं0-IS15532:2004 प्रमाण-पत्र प्राप्त हो अथवा संबंधित प्लास्टिक क्रेट्स निर्माता फर्म द्वारा प्लास्टिक क्रेट्स का परीक्षण वर्ष-2019 में CIPET द्वारा कराया गया हो तथा परीक्षण रिपोर्ट जो CIPET के सभी निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण पायी गयी हो। ऐसे सम्बन्धित प्लास्टिक क्रेट्स निर्माता फर्म/कम्पनियों अथवा उनके डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर द्वारा बी0आई0एस0 मानक सं0-IS15532:2004 प्रमाण-पत्र की प्रति अथवा CIPET की परीक्षण रिपोर्ट की प्रति पंजीकृत/चयनित लाभार्थी कृषकों को प्लास्टिक क्रेट्स विक्रय का जी.एस.टी. बिल/रसीद के साथ उपलब्ध करानी होगी। पंजीकृत/चयनित लाभार्थी कृषकों द्वारा सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी को प्लास्टिक क्रेट्स क्रय की जी.एस.टी. बिल/रसीद बी0आई0एस0 प्रमाण-पत्र अथवा CIPET की परीक्षण रिपोर्ट सहित उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त लाभार्थी कृषक से भुगतान का विकल्प प्राप्त कर निम्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं:-

1. कृषक द्वारा स्वयं के व्यय पर कार्य पूर्ण करने पर अनुदान सहायता सम्बन्धित हितग्राही के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा।

अथवा

2. कृषक द्वारा बैंक के माध्यम से ऋण लेकर कार्य पूर्ण करने पर सम्बन्धित लाभार्थी के बैंक ऋण खाते में अनुदान भुगतान किया जा सकेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सं0-39/2018-1419/58-2018-118/2016, दिनांक 26.06.2018 एवं शासनादेश सं0-24/2019-1017/58-2019-118/2016, दिनांक 04.06.2019 के शेष बिन्दु यथावत् हैं। उपरोक्तानुसार योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या-49/2019-2521(1)/58-2019, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(3) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 शासन।
(6) निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(8) समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in